POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.07.2025

1. थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा फर्जी किसान बनकर एवं फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी कर किसान की जमीन विक्रय करने वाले गिरोह पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के खातों में मौजूद करीब 18 लाख रूपये को फ्रीज कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.07.2025 को वादी के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण 1. प्रवीन पुत्र ग्यासी 2.श्यामबाबू पुत्र दानवीर 3.जयकुमार पुत्र देवीराम द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी की ग्राम फलैदा बांगर खसरा नं0 212 खाता सं0 200 रकबा 0.8170 हेक्टेयर जमीन के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करा लेना तथा वादी के पुत्र को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में लाकर दाखिल किया गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 147/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम पूजा वालिया आदि 15 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुये गिरफ्तारी की जायेगी।

कार्यवाही का विवरण-- थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी किसान तैयार कर फर्जी/कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर जमीन की अवैध बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तगण 1.प्रवीन कुमार उर्फ बादशाह पुत्र गयासी निवासी ग्राम फलैदा थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष 2.श्यामबाबू पुत्र दानवीर निवासी ग्राम हजरतपुर थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र 45 वर्ष 3.जयकुमार पुत्र देवीराम निवासी ग्राम माधवगढी थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर उम्र 37 वर्ष को **दिनांक 08.07.2025** को फलैंदा बागर से धनपुरा जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है एवं अभियुक्तगण एवं अन्य संदिग्ध के खातों में मौजूद करीब 18 लाख रूपये को फ्रीज कराया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त जयकुमार द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ग्राम फलैदा निवासी दौला उर्फ बाबू सिंह पुत्र श्री श्याम लाल की ग्राम फलैदा बांगर में खसरा सं0 212 खाता स 200 रकबा 0.8170 हेक्टेयर भूमि को फर्जी किसान तैयार कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड ,पैन कार्ड तैयार कर बिक्रय करने की योजना बनाई। योजना में ग्राम फलैंदा के रहने वाले संजू पुत्र चन्दर और सनी उर्फ छोटू पुत्र हरिलाल और लखपत उर्फ लखन को शामिल किया गया। संजू उर्फ छोटू पुत्र हरिलाल, सनी और लखपत उर्फ लखन को इस काम के लिये 10 -10 लाख रूपये देने का लालच दिया था। संजू और सनी ने ही

ग्राम फलैदा के रहने वाले प्रवीन पुत्र गयासी को पैसों का लालच देकर फर्जी रजिस्ट्री में गवाही देने के लिये तैयार किया था और इन लोगो ने ही हजरतपुर बुलन्दशहर के रहने वाले श्यामबाबू पुत्र दानवीर को फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने के लिये तैयार किया था। योजना के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना से करीब 7-8 दिन पहले ग्राम फलैदा में मीटिंग की गयी और फर्जी रजिस्ट्री कैसे करानी है इसकी सारी योजना बनाई गयी। अभियुक्त जयकुमार द्वारा कथित फर्जी किसान श्यामबाबू का फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया था और उन्ही फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर कथित फर्जी किसान श्यामबाबू का खाता जिला सहकारी बैंक रबूपुरा में लखपत उर्फ लखन ने खुलावाया था। फर्जी किसान श्यामबाबू को कुल 10 लाख और गवाह प्रवीन को 01 लाख रूपये की बात तय हुई थी जिसमें से श्यामबाबू को 01 लाख रूपये और प्रवीन को 20 हजार रूपये एडवान्स के तौर पर दिये गये थे, शेष रूपये बाद में देना तय हुआ था। योजना के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.06.2025 और 24.06.2025 को फर्जी किसान बनकर उक्त जमीन की रजिस्ट्री 09 व्यक्तियों के नाम कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. प्रवीन कुमार उर्फ बादशाह पुत्र गयासी निवासी ग्राम फलैदा थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष
2. श्यामबाबू पुत्र दानवीर निवासी ग्राम हजरतपुर थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र 45 वर्ष
3. जयकुमार पुत्र देवीराम निवासी ग्राम माधवगढी थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर उम्र 37 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एवं पंजीकृत अभियोग--

मु0अ0सं0 147/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धगर

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्तगण एवं अन्य संदिग्ध के खातों में मौजूद करीब 18 लाख रूपये को फ्रीज कराया गया है।